

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/ इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन/ लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं बिहार निःशक्तता पेंशन के निमित्त विहित आवेदन प्रपत्र (ऑन लाइन हेतु)

पेंशन योजना का नाम :-.....

1. आवेदक का नाम:-..... (पुरुष/महिला)

2. पिता या पति का नाम:-.....

3 पता:-ग्राम/मुहल्ला:-..... पंचायत/नगर वार्ड

डाकघर:-..... प्रखंड/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत

थाना:-..... अनुमंडल:-..... जिला :-.....

4. कोटि :- अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य.....

5. पेंशन अर्हता संबंधी सूचना

(क) आयु (आवेदन पत्र के दिन) :-

(ख) बी.पी.एल. का क्रमांक / यदि नहीं तो आय

(ग) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत :-

(घ) मोबाइल नं.:-(1) स्वयं..... (2) अन्य (नाम सहित).....

6. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -

I. मैं उपर्युक्त अर्हता के अन्तर्गत आता/आती हूँ।

II. मुझे पूर्व से सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई भी पेंशन स्वीकृत नहीं है।

III. मैं (नाम) जिला.....बिहार राज्य का /की निवासी अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरणी सही है। यदि कोई व्योरा गलत/झूठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

क्र०	योजना का नाम	आय	आयु	विकलांगता	राशि
1	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	बी०पी०एल	60-79 वर्ष	---	200 / -प्रतिमाह
			80-अधिक		500 / -प्रतिमाह
2	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	बी०पी०एल	40-79 आयु वर्ग	---	300 / -प्रतिमाह
3	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन	बी०पी०एल	18-79	गंभीर या बहु विकलांगता	300 / -प्रतिमाह
4	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन	बी० पी० एल०	18 वर्ष से अधिक	---	300 / -प्रतिमाह
		अधिकतम 60,000 / - वार्षिक			
5	बिहार निःशक्तता पेंशन	आय सीमा नहीं	उम्र सीमा नहीं	40: या उससे ऊपर	300 / -प्रतिमाह